3.2

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2002/फाल्गुन 8, 1923

No. 49] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2002/PHALGUNA 8, 1923

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2002

विषय : मानसिक रूग्णता के मूल्यांकन और निर्धारण और उनकी प्रमाणन प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश।

सं. 16-18/97-एन.आई.-1.—नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(i) के अंतर्गत मानसिक रूग्णता की पहचान एक नि:शक्तता के रूप में की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 2(द) के अंतर्गत मानसिक रूग्णता को मानसिक मंदता से भिन्न किसी मानसिक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. मानसिक रूग्णता के मूल्यांकन और निर्धारण और प्रमाणन प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त, 2001 के आदेश द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

3. समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, मुझे मानसिक रूग्णता के मूल्यांकन एवं निर्धारण और प्रमाणन प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने हेतु राष्ट्रपति के अनुमोदन को सूचित करने का निदेश हुआ है। रिपोर्ट की प्रति अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।

4. किसी तरह की रियायत/लाभ का पात्र होने के लिए न्यूनतम नि:शक्तता 40% होनी चाहिए।

5. नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 73 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड को होगा। समिति ने सिफारिश की है कि अधिनियम के प्रयोजनों से नि:शक्त प्रमाणन चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क)	संस्था का चिकित्सा अधीक्षक/प्रधानाचार्य/निदेशक/अध्यक्ष अथवा उनका मनोनीत व्यक्ति	अध्यक्ष
(ख)	मनश्चिकित्सक	सदस्य
(ग)	चिकित्सक	सदस्य

6. बोर्ड के अध्यक्ष सहित कम से कम दो सदस्य उपस्थित होंगे और नि:शक्तता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

7. अत: राज्य सरकारों से उपर्युक्त अनुसार तत्काल चिकित्सा बोर्ड का गठन करने का अनुरोध है।

8. चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र देने से पहले अनुबंध-क में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परीक्षण करवाया जाएगा और उसका रिकार्ड रखा जाएगा।

9. यह प्रमाण-पत्र उन व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष की अवधि तक वैध होगा जो अस्थाई तौर पर नि:शक्त हैं तथा 18 वर्ष से कम आयु के हैं। स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वैधता प्रमाण-पत्र में स्थायी दिखाई जा सकती है।

10. परिभाषाओं/वर्गीकरणों/मूल्यांकनों/परीक्षणों आदि के निर्वचन से संबंधित किसी प्रकार का विवाद /संदेह पैदा होने की स्थिति में, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अंतिम प्राधिकारी होंगे।

श्रीमती राजवंत संधू, संयुक्त सचिव

अनुबंध-क

बैठक का कार्यवृत्त

मानसिक रूग्णता की परिभाषा की समीक्षा करने और मानसिक रूग्णता से होने वाली अशक्तता के निर्धारण के संबंध में दिशानिर्देश और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तैयार करने के लिए संबंधित समिति की, 27 सितम्बर, 2001 (बृहस्पतिवार) को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त।

मानसिक रूग्णता की परिभाषा की समीक्षा करने और मानसिक रूग्णता से होने वाली अशक्तता के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तैयार करने के लिए 27 सितम्बर, 2001 को महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची में संलग्न है।

1. विस्तृत चर्चा के बाद इस बात पर सहमति प्राप्त कर ली गई कि अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (घ) में दी गई "मानसिक रूग्णता" की मौजूदा परिभाषा को ज्यों का त्यों ही रखा जाए। अशक्त व्यक्ति अधिनियम (पी डब्ल्यू डी) के लिए यही सर्वोचित रहेगा।
2. मानसिक रूग्णता से होने वाली अशक्तता के निर्धारण के संबंध में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि कार्य-दल की सहायता से भारतीय मनश्चिकित्सीय सोसाइटी की सुधार समिति द्वारा विकसित भारतीय अशक्तता मूल्यांकन एवं निर्धारण मान (IDEAS) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किए गए संशोधनों के साथ इस्तेमाल किए जाने चाहिए। संशोधित मान, आई डी ई ए एस में संलग्न है।
3. इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

   (i) चिकित्सा अधीक्षक/संस्था का अध्यक्ष/निदेशक/प्रधान अथवा उसका नामिती—अध्यक्ष (चेयर पर्सन)

   (ii) मनश्चिकित्सक—सदस्य

   (iii) चिकित्सक—सदस्य

   अध्यक्ष सहित कम से कम दो सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए और अशक्तता प्रमाणपत्र पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिएं।
4. अध्यक्ष को धन्यवाद दिया गया और इसी के साथ बैठक समाप्त हो गई।

भारतीय अशक्तता निर्धारण एवं मूल्यांकन मान (आई डी ई ए एस) मानसिक विकारों के कारण होने वाली अशक्तता के मापन एवं परिमाणन संबंधी मान।

मदें

1. **अपनी देखभाल :** इसमें अपनी देखभाल स्वयं करने संबंधी बातें शामिल हैं, जैसे : अपने शरीर की साफ-सफाई का ध्यान रखना, तैयार होना, स्वयं नहाना, शौच करना, कपड़े पहनना, भोजन करना आदि शामिल हैं।
2. अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार (सामाजिक संबंध): इसमें अन्य लोगों के साथ स्थिति के अनुसार तथा सामाजिक तौर पर उचित ढंग से बातचीत आदि प्रारंभ करना तथा परस्पर संबंध बनाए रखना शामिल है।
3. बातचीत करना (संप्रक्षण) और समझना: इसमें बोलकर/लिखकर/इशारों से संदेश के माध्यम से अन्य लोगों से बातचीत करना और उनकी बातें समझना शामिल है।
4. **कार्य :** इसके तीन क्षेत्र हैं :—रोजगार/घरेलू कार्य/शिक्षा

   किसी भी एक पहलू का निर्धारण कर लें—

1. **कार्य निष्पादन :** किसी कार्य रोजगार (पारिश्रमिक सहित)/स्व-रोजगार/पारिवारिक व्यवसाय अथवा अन्य किसी प्रकार के कार्य निष्पादन की क्षमता। रोजगार पर कार्य को पूरी तरह दक्षतापूर्वक तथा निर्धारित समय के भीतर करने की क्षमता का निर्धारण करें। इसमें रोजगार की तलाश करना भी शामिल है।
2. **घरेलू कार्य निष्पादन :** घर की देखरेख करना, जिसमें भोजन पकाना घर पर अन्य लोगों की देखभाल करना, सामान की देखभाल करना, आदि शामिल हैं। घरेलू कार्यों को पूरी तरह निपुणता से तथा समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी उठाने तथा इसे पूरा करने की क्षमता का निर्धारण करें।

3. **स्कूल/कालेज में पढ़ाई करना :** शिक्षा से संबंधित कार्य करने की क्षमता का निर्धारण करें।

प्रत्येक मद के लिए अंक :

0 कोई अशक्तता नहीं (कोई नहीं, नहीं पाई गई, नगण्य)

1 मामूली (माइल्ड) अशक्तता (मामूली, बहुत कम)

2 मध्यम (मॉडरेट) अशक्तता (मध्यम, साधारण)

3 अधिक/गंभीर अशक्तता (अधिक, काफी ज्यादा)

4 अत्यधिक/अति गंभीर (प्रोफाऊंड) अशक्तता (पूर्णत: अशक्त, काम नहीं कर सकता)

कुल अंक

इन 4 मदों के अंकों को जोड़कर कुल अंक निकालें :

बीमारी की अवधि के लिए अंक जोड़ना (डी ओ आई)

बीमारी की अवधि < 2 वर्ष: 1 अंक जोड़े

2-5 वर्ष: 2 जोड़े

6-10 वर्ष: 3 जोड़े

7- 10 वर्ष: 4 जोड़े

ग्लोबल अशक्तता

		ग्लोबल
अशक्तता के कुल अंक + बीमारी की अवधि के अंक	=	अशक्तता के अंक

प्रतिशतता :

0	कोई अशक्तता नहीं	=	0%
1-6	मामूली अशक्तता (माइल्ड)	=	40%
7-13	मध्यम अशक्तता (मॉडरेट)	=	40-70%
14-19	गंभीर अशक्तता	=	71-99%
20	अति गंभीर अशक्तता (प्रोफाउण्ड)	=	100%
	कल्याण कार्यों के लिए अधिकतम	=	40%

''आई.डी.ई.ए.एस.मान'' के लिए नियम-पुस्तक

इस प्रकार अंक-निर्धारण के लिए हर संभव स्रोत से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। इसमें रोगी और उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति से साक्षात्कार तथा यदि उपलब्ध हों तो केस नोट से प्राप्त जानकारी शामिल होगी।

1. **अपनी देखभाल :**—इसे सामाजिक मानदंडों तथा रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया कार्य माना जाना चाहिए। इसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे :

क. अपने शरीर की साफ-सफाई तथा स्वास्थ्य की देखभाल

ख. खान-पान संबंधी आदतें

ग. अपने सामान तथा रहने के स्थान का रखरखाव।

क. क्या वह अपनी देखभाल स्वयं करता है, नियमित रूप से अपने दांत साफ करता है, स्नान करता है तथा अपने कपड़े धोता है।

ख. क्या वह नियमित रूप से खाना खाता है ?

ग. क्या वह सही प्रकार का भोजन सही मात्रा में लेता है।

घ. खाना खाते समय उसका व्यवहार कैसा होता है ?

ङ. क्या वह अपने सामान की देखरेख समुचित साफ-सफाई रखते हुए करता है तथा सामान करीने से रखता है ?

0 = कोई अशक्तता नहीं।